2003
द्वितीय सत्र की कार्यसूची

उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 12 जून, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "क")।

2. प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ग")।

4. शिक्षा मंत्री, हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का दूसरा अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का तीसरा अधिनियम बन गया।

....2/....

(3) उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 मई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का चौथा अधिनियम बन गया।

7. सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-160 के अनुसार उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

(संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

8. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 मई, 2003 को प्राप्त हो गयी तथा वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का पाचवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का छठा अधिनियम बन गया।

(3) उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सातवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का आठवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का नवां अधिनियम बन गया।

....3/....

(6) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का दसवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तरांचल मोटर यान कराधान सुधार विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 अप्रैल, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का बारहवां अधिनियम बन गया।

9. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ङ")

14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

15. नियम-103 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।"

....4/....

16. नियम-103 के अन्तर्गत श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल किया जाय।"

17. नियम-103 के अन्तर्गत काजी निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुर्नजीवित कर दिया जाए।"

18. नियम-103 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल, निर्धन वर्गो के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

(समय : अपराहन् 4 : 00 बजे)।

19. मुख्य मंत्री वित्तीय वर्ष 2003-2004 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

20. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 12 जून, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

(क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2003

का प्रथम गुरूवार

उत्तरांचल विधान सभा

की कार्यसूची

गुरूवार, 22 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 12 जून, 2003)

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 12.3.2003	*क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम भारूवाला ग्रांट जो कि डोईवाला जनपद देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डामिसाइल्ड यूरोपियन को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड क्लेमेन्टाउन (सरकार समिति) जनपद देहरादून की भूमि खसरा नं0 559,562 तथा 565 कुल 30.00 बीघा को ब्रदर्स पैट्रिक सोसाइटी के सदस्योंएवं सरकार कर्मचारियों द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उपरोक्त भूमि एम0डी0डी0ए0 के कब्जे में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित कर सरकारी उपयोग में लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	सहकारिता

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

श्री मातबर सिंह कण्डारी 17.5.2003	*1. क्या खेलकूद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक स्टेडियम तथा जिले में इन्डोर स्टेडियम स्थापित किये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	खेलकूद
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 17.5.2003	*2. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नियमों के विरूद्ध की गई है? क्या यह सत्य है कि उक्त पद पर कार्यरत अधिकारी के विरूद्ध सहकारी बैंकों में अपने रिश्तेदारों को अनुचित तरीके से नियुक्ति एवं पदोन्नति देने के आरोप सिद्ध पाये गये हैं? क्या सरकार उक्त व्यक्ति को कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक के पद से हटाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	सहकारिता
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 20.5.2003	*3. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ओला वृष्टि से फलों व सब्जियों के उत्पादक कास्तकारों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए सरकार ''हैलनेट'' प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री बलबीर सिंह नेगी 21.5.2003	*4. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बन्द करने पर विचार कर रही है? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में किस जनपद में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है?	शिक्षा
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 21.5.2003	*5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टर कॉलेजों के अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
22.5.2003
श्री मातबर सिंह कण्डारी
23.5.2003

*6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, हाईस्कूलों, एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों के प्रान्तीयकरण पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'
22.5.2003

*7. क्या ग्रामोद्योग मंत्री भिज्ञ हैं कि उत्तरांचल राज्य में हथकरघा विभाग का गठन न किये जाने के फलस्वरूप बुनकर वर्ग को भारत सरकार द्वारा हथकरघा विभाग को दिये जाने वाली योजनाओं का कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन जनहित में हथकरघा विभाग का गठन कर पूर्ववत यूपिका हैण्डलूम के बिक्री केन्द्रों का उसके साथ विलय करने पर कोई नीति निर्धारित किये जाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्रामोद्योग

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रेमानन्द महाजन
17.5.2003

1. क्या पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उधमसिंह नगर में स्थित जलाशयों से मछली पालन से गत 5 वर्ष के दौरान वर्ष वार कितनी आमदनी विभाग को हुई? वर्तमान में उक्त जलाशयों के ठेके कब तक के लिए हैं? क्या सरकार द्वारा मत्स्य व्यवसाय करने वालों को ठेके में प्राथमिकता दी जाती है? — मत्स्य पालन

श्री मदन कौशिक
17.5.2003

2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु कोई विशेष कार्ययोजना लागू करने जा रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा? — शिक्षा

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
17.5.2003

3. क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार में जमालपुर समिति प्रस्ताव संख्या-7 दिनांक 17.5.95 द्वारा समिति की हरिद्वार दिल्ली राजमार्ग पर स्थित 34x34 फुट भूमि जिसका बाजार मूल्य 20.00 लाख रूपया है, श्री अशोक कुमार व राजेश पुत्र श्री जयचन्द निवासी सहितापुर को देने का प्रस्ताव किया गया था क्या इस प्रस्ताव को उपनिबंधक, हरिद्वार द्वारा पत्रांक 3958-60, दिनांक 27.4.99 द्वारा निरस्त किया गया था? क्या यह सत्य है कि समिति द्वारा पुनः 48x48 फुट की भूमि उपरोक्त व्यक्तियों को दिये जाने का प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 7.12.2001 को पारित किया गया जिसे जिला सहायक निबन्धक हरिद्वार द्वारा अनुमोदित कर कब्जा उक्त व्यक्तियों को दिलाया गया? क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच तथा दोषी जिला सहायक निबंधक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? — सहकारिता

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
17.5.2003

4. क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 96-97 में सहकारी क्रय-विक्रय समिति, काशीपुर के विशिष्ट लेखा प्रतिवेदन में समिति के तत्कालीन सचिव ए.डी.सी.ओ. व अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध रू0 1993870.47 (उन्नीस लाख तिरानवें हजार आठ सौ सत्तर रू0 सैंतालीस पै0) के अपहरण दुरूपयोग, अनियमितता की पुष्टि की गयी है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध वसूली/प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या कार्यवाही की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 96-97 में उपनिबंधक सहकारी समितियाँ नैनीताल द्वारा तत्कालीन सचिव ए.डी.सी.ओ. के विरूद्ध धारा-65 की जाँच की गई थी तथा धारा-68 में उक्त के विरूद्ध लगभग 6.00 लाख वसूली के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है, यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? — सहकारिता

श्री प्रेमानन्द महाजन
19.5.2003

5. क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान में पशु चिकित्सा लेवी किस दर से लिया जा रहा है? गत एक वर्ष पूर्व लेवी का क्या दर था? क्या लेवी फीस के अन्तर्गत विभाग द्वारा दवा फ्री दी जाती है? क्या सरकार जनहित में बढ़ी हुई फीस वापस लेगी? यदि नहीं, तो क्यों? — पशुपालन

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 19:5.2003	6. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के राजकीय इण्टर कॉलेज सिलोंगी में विगत कई वर्षों से निर्मित मिनी आई. टी.आई. भवन में तकनीकी शिक्षा की कक्षाऐं प्रारम्भ न होने के क्या कारण है? क्या सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा सत्र में वहाँ तकनीकी शिक्षा की कक्षाऐं प्रारम्भ की जायेगी तथा क्या व्यवसायिक शिक्षा को भी एक विषय के रूप में लेने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	प्रथम शुक्र के अता.24 में स्था.
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 19.5.2003	7. क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल सहकारी बैंक में कार्यकारी प्रबंध निदेशक के पद पर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के प्रबंधक श्री राजेन्द्र शर्मा की नियुक्ति किस आधार पर की गई है? क्या यह सही है कि इनके द्वारा उत्तरांचल के लिए वर्ष 1999 में दिया गया विकल्प सशस्त्र था तथा ये उत्तरांचल में कनिष्ठतम कर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो इनकी कार्यकारी प्रबंधनिदेशक के पद पर नियुक्ति का क्या औचित्य है?	सहकारिता
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 19.5.2003	8. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशु चिकित्सालयों एवं उनमें पशु चिकित्सकों की संख्या क्या है? क्या यह भी सत्य है कि एक पशुचिकित्सक को खण्ड विकास अधिकारी का चार्ज दिया गया है? यदि हाँ, तो चिकित्सकों की कमी के बावजूद भी चिकित्सक को बी.डी.ओ. का चार्ज दिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 20.5.2003	9. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में ग्रामीण महिलाओं को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के लिए आसान किश्तों एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने पर सरकार विचार करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	पशुपालन
श्री अजय भट्ट 20.5.2003	10. क्या खेल मंत्री को ज्ञात है कि रानीखेत में जनता के लिए खेल मैदान हेतु लम्बे समय से माँग उठायी जा रही है, यदि हाँ, तो इस खेल मैदान के न बनने का क्या कारण है और कब तक रानीखेत में खेल मैदान का निर्माण होगा?	खेल
श्री अजय भट्ट 20.5.2003	11. क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने मत्स्य पालन केन्द्र हैं? जिलेवार इनका विवरण क्या है तथा कुल कितने केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं? इनसे वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है? क्या सरकार बेरोज़गारों को रोज़गार देने हेतु मत्स्य पालन की कोई नयी योजना बनाने जा रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?	मत्स्य पालन

श्रीमती विजय बड़थ्वाल 20.5.2003	12. क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1971 से पूर्व सेवा निवृत्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की विधवाओं को पारिवारिक पेन्शन मिल रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विधवाओं को पेन्शन देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी 20.5.2003	13. क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा में निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तरांचल का कार्यालय स्थित है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यालय में अपर निबन्धक एवं उपनिबन्धक की तैनाती की गई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय में बैठते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	सहकारिता
श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.5.2003	14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर पर वाणिज्य विषय का अध्यापन ऐच्छिक विषय के तहत करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त विषय से संबंधित अध्यापकों के पद कब तक सृजित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 21.5.2003	15. क्या पशुपालन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत चलियाखोड़ भेड़ प्रजनन केन्द्र के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?	पशुपालन
श्रीमती आशा नौटियाल 21.5.2003	16. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के राजकीय इण्टर कॉलेज घिमतोली के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
डा0 नारायण सिंह जंतवाल 20.5.2003	17. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा से संबंधित प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वर्तमान में रू0 4500-7000/00 के वेतनमान में कार्यरत हैं जबकि उनके नियंत्रण में कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक जूनियर हाईस्कूल का पुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500/00 कर दिया गया है? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रयास कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

डा0 नारायण सिंह जंतवाल 21.5.2003	18. क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 1993 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1989-90 से पूर्व के तदर्थ रूप से नियुक्त प्रति उपविद्यालय निरीक्षक जो प्रधानाचार्य जूनियर हाईस्कूल संवर्ग से पदोन्नत/नियुक्त हुए हैं को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को विनियमित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 22.5.2003	19. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में पशु सेवा केन्द्र खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसके स्थापना के मानक क्या होंगे?	पशुपालन
श्री मातबर सिंह कण्डारी 22.5.2003	20. क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0इ0का0 बुढ़ना लस्या जनपद रूद्रप्रयाग में विज्ञान वर्ग की मान्यता इण्टर स्तर तक के लिए विद्यालय द्वारा प्रस्ताव उचित माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त विद्यालय को विज्ञान वर्ग की मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय यथाशीघ्र विज्ञान की मान्यता प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23.5.2003	21. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम अठाली में ग्रामीणों द्वारा कन्या जूनियर हाईस्कूल खुलवाने का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या इसी सत्र में उक्त विद्यालय खोला जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट 23.5.2003	22. क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के श्री चण्डीदेवी हाईस्कूल काण्डा मैखुरा को सवित्त मान्यता प्राप्त है? यदि हाँ, तो इसके सापेक्ष पद सृजित न होने के क्या कारण हैं?	शिक्षा
श्री मातबर सिंह कण्डारी 23.5.2003	23. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बेसिक पाठशालाओं, हाईस्कूलों तथा इण्टर कॉलेजों में अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर क्या सरकार नियुक्ति करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्रीमती आशा नौटियाल 23.5.2003	24. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊखीमठ में अत्याधिक फल उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए कोल्ड स्टोर खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर कोल्ड स्टोर खोला जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान

श्रीमती आशा नौटियाल 23.5.2003	25. क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में फल पट्टी एवं फलोत्पादन को बढावा देने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 22.5.2003	26. क्या शिक्षा मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्रांक अ-18145, दिनांक 12-7-2002 जो उनको सम्बोधित है के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि किसान इण्टर कॉलेज लक्सर (हरिद्वार) में कक्षा 11 एवं 12 में कॉमर्स विषय की मान्यता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार जनहित में उक्त शिक्षण संस्थान में उल्लिखित विषय प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री मदन कौशिक 21.5.2003	27. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में जिला पुस्तकालय है? यदि हाँ, तो उसकी व्यवस्था किस विभाग को दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

नत्थी "घ"

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003 में निम्नलिखित शाब्दिक/आनुषंगिक संशोधनों का विवरण :-

विषय सूची में धारा-24 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "19" के स्थान पर "20", धारा-45 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "40" के स्थान पर "41", धारा-91 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "68" के स्थान पर "67", धारा-112 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "81" के स्थान पर "82", तथा धारा-158 व धारा-159 के सम्मुख अंकित पृष्ठ संख्या "105" के स्थान पर "106" कर दिया गया है।

विषय सूची में अध्याय 14 के शीर्षक में "भास्तियां" के स्थान पर "शास्तियां" कर दिया गया है।

प्रथम पृष्ठ में अध्याय-1 से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया गया है :-

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2003
विधेयक,.....वर्ष, 2003
भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के स्थान पर उत्तरांचल राज्य के प्ररिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों के लिए अधिनियमित।

धारा 1 के द्वितीय पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "उपबन्ध" के पश्चात् "उस" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अपेक्षित" के पश्चात् "न" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की उपधारा (ब) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया गया है।

(ब-1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो।

धारा 2 की उपधारा (ब) के बाद उल्लिखित प्रतिबंध के खण्ड (III) की अंतिम पंक्ति में "सहकारी समिति" के बाद शब्द "के" हटा दिया गया है।

पृष्ठ 2 पर अंकित धारा 2 की उपधारा (ब-1) "ऋण समिति" का तात्पर्य उस समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधि एकत्र करना हो।" को हटा दिया गया है।
धारा 2 की उपधारा (व) की तृतीय पंक्ति में परिसम्पत्तियों के पश्चात् शब्द "से" के स्थान पर "में" कर दिया गया है।

....2/....

धारा 2 की खण्ड "ह" की तृतीय पंक्ति में शब्द "एक्ट" के पश्चात् "1934" जोड़ दिया गया है तथा शब्द "शेडयूल्ड" के स्थान पर "अनुसूचित" कर दिया गया है।

धारा 2 की उपधारा (ह-I) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कम्पनीज" के स्थान पर "रेगुलेशन" व व "1964" के स्थान पर "1949" तथा द्वितीय पंक्ति में "धारा 5" के बाद "(1) (सी0सी0 1)" जोड़ दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह-2) के खण्ड (1) में शब्द "करना" के पश्चात् शब्द "है" के स्थान पर "हो" कर दियाा गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह-2) के खण्ड (2) में "रक्षित निधि" के पश्चात् "तत्समय प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुरूप हो।" के स्थान पर "एक लाख रूपये से कम न हो।" कर दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड "(ह-3) श्रम संविदा सहकारी समिति वेतनभोगी सहकारी समिति भूतपूर्व सैनिक कल्याण समितियां" को हटा दिया गया है।

धारा 2 की खण्ड (ह-3) के पश्चात् कमांक-1 के खण्ड (घ) की द्वितीय पंक्ति "चीफ एक्जीक्यूटिव मैनेजिंग" के स्थान पर "मुख्य कार्यकारी" कर दिया गया है तथा खण्ड (छ) की तृतीय पंक्ति में शब्द "धारा" के पश्चात् "की" जोड़ दिया गया है।

धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की तृतीय पंक्ति में शब्द "संस्थित" के स्थान पर "सुस्थित" कर दिया गया है।

धारा 7 के द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्राप्त" के स्थान पर "देने" कर दिया गया है तथा शब्द "होने" हटा दिया गया है।

धारा 8 की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "प्रमाण" के पश्चात् "-पत्र" हटा दिया गया है।

धारा 12 की उपधारा (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "नियम" के स्थान पर "नियत" कर दिया गया है।

धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "मां क" के स्थान पर "मानक" कर दिया गया है।

....3/....

धारा 24 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "निर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "न" को हटा दिया गया है।

धारा 24 की उपधारा (2) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "दायित्व" के पूर्व "समिति" के स्थान पर "सीमित" कर दियाा गया है।

धारा 24 की उपधारा (3) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अथवा" के पश्चात् शब्द "विधिक" जोड़ दिया गया है।

धारा 28 के शीर्षक में शब्द "अधिकार" के स्थान पर "प्राधिकार" कर दिया गया है।

धारा 29 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "निर्वाचन" के पश्चात् "नियमावली में वर्णित प्रक्रिया से संचालित कराया जाये।" को हटा दिया गया है।

धारा 29 की उपधारा (7) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "यथास्थिति" के पश्चात् "प्रशासक या कमेटी से समिति का" को हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर "प्रबन्ध लेने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उप्रविधियों के अनुसार" जोड़ दिया गया है।

धारा 31 (क) की उपधारा (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "सहकारी" से पूर्व शब्द "ीर्श" के स्थान पर "शीर्ष" कर दिया गया है।

धारा 31 (क) की उपधारा (1) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "प्रबन्ध" के पश्चात् "निदोक" के स्थान पर "निदेशक" कर दिया गया है।

धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपविधियों के" के पश्चात् कोष्ठक तथा दूसरी पंक्ति से कोषक को हटा दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "अध्याय 6 में" के पश्चात् शब्द "व्यवस्था" जोड़ दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की तृतीय पंक्ति में शब्द "और" के पश्चात् शब्द "ब्याज" जोड़ दिया गया है।

धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की पंचम पंक्ति में शब्द "समिति" के पश्चात् शब्द "की" जोड़ दिया गया है।

....4/....

धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के तृतीय पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "कृत्य" के पश्चात् शब्द "हो" के स्थान पर "को" कर दिया गया है।

धारा 35 (क) की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "पोषण" के स्थान पर "पोषक" कर दिया गया है तथा शब्द "पर" के पश्चात् "भी लागू होंगे।" जोड़ दिया गया है एवं "आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो "सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को "साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।" को हटा दिया गया है।

धारा 38 की उपधारा (1) की सप्तम पंक्ति में शब्द "ऊपरान्त" के स्थान पर "उपरान्त" शब्द "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" तथा शब्द "की" के स्थान पर "को" कर दिया गया है। उक्त धारा की ही पंक्ति अष्टम में शब्द "सकती" के स्थान पर "सकता" तथा शब्द "जो" के स्थान पर "जिसे" कर दिया गया है।

धारा 39 के खण्ड (घ) की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "द्वारा" के पश्चात् शब्द "क्रय" जोड़ दिया गया है।

धारा 43 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा 43 (घ) की उपधारा (1) की पंचम पंक्ति में शब्द "विशिष्टियाँ" के स्थान पर शब्द "प्रविष्टियाँ" कर दिया गया है।

धारा 55 के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "मंलधन" के स्थान पर शब्द "मूलधन" कर दिया गया है।

धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) की प्रथम पंक्ति में "1860" के स्थान पर "1890" तथा शब्द "पूर्त" के स्थान पर शब्द "पूर्व" कर दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में "प्रयोग में" के पश्चात् शब्द "नहीं" जोड़ दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में "ऋण या अदत्त" के पश्चात् "माँग का" जोड़ दिया गया है।

धारा 63 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया गया है :-

....5/....

यदि कोई सहकारी समिति राज्य सरकार की सहमति से कोई पेंशन योजना अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है तो भविष्य निधि में समिति के अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

जहाँ भी कहीं इस अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी वह योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं होगी। यदि कोई पेंशन योजना इस आशय के साथ लागू की जाती है कि अंशदायी भविष्य निधि से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी समिति के अंशदान को नहीं लेगें तथा वापस कर देगें यदि वे उक्त पेंशन योजना अपनाना चाहते है।

धारा 70 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में "ऋण या माँग के सम्बन्ध में हों" के पश्चात् शब्द "जो उसे" जोड़ दिया गया है।

धारा 71 की अन्तिम पंक्ति में शब्द "समिति" के स्थान पर शब्द "प्रकरण" कर दिया गया है।

धारा 71-ख की प्रथम पंक्ति में "इण्डियन लिमिटेशन एक्ट" के पश्चात् (,) जोड़ दिया गया है तथा "35" के स्थान पर "34" और "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा-73 की द्वितीय पंक्ति में "तो वह इस प्रयोजन के लिए" के पश्चात् "किसी व्यक्ति" के स्थान पर "सहकारिता विभाग के किसी सरकारी सेवक" जोड़ दिया गया है।

धारा-73 की उपधारा-4 की प्रथम पंक्ति में "यदि सहकारी समिति के" के बाद "समापक" के स्थान पर "समापन" कर दिया गया है।

धारा-74 की उपधारा-2 के खण्ड-ग की प्रथम पंक्ति में "तीन" के स्थान पर "तीस" कर दिया गया है।

धारा-74 की उपधारा-2 के खण्ड-ङ की प्रथम पंक्ति में "पारम्परिक" के स्थान पर "पारस्परिक" कर दिया गया है।

धारा-74 की उपधारा-5 की तृतीय पंक्ति में "कोरम" के स्थान पर "कारण" कर दिया गया है।

धारा-79 की उपधारा-1 के तृतीय प्रतिबन्ध की द्वितीय पंक्ति में "को" के स्थान पर "का" कर दिया गया है तथा तृतीय पंक्ति में "जिसे" के स्थान पर "हित" और "2" के स्थान पर "82" कर दिया गया है।

....6/....

धारा-79 की उपधारा-2 की तृतीय पंक्ति में "Disposition" के स्थान पर "Disposal" कर दिया गया है।

धारा-82 की उपधारा-1 के द्वितीय प्रतिबन्ध की पाँचवीं पंक्ति में "(Transfer of Property Act, 1882)" के स्थान पर "(एक्ट संख्या-4, वर्ष, 1882)" कर दिया गया है।

धारा-83 की चतुर्थ पंक्ति में "मकानों" के स्थान पर "मानो" कर दिया गया है।

धारा-86 की तृतीय पंक्ति में "धारित किसी भूमि को" के बाद "बिना" जोड़ दिया गया है। तथा चतुर्थ पंक्ति में "धारा 79 की उपधारा" के पश्चात् "(1)" जोड़ दिया गया है।

धारा-88 की उपधारा 2 के खण्ड (क) की द्वितीय पंक्ति में "(Disposition)" के स्थान पर "(Disposal)" कर दिया गया है।

धारा-88 की उपधारा 2 के खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में "2" के स्थान पर "82" कर दिया गया है।

धारा-88 की उपधारा 2 के खण्ड (छ) की प्रथम पंक्ति में "सहकारी कृषि समिति के" के पश्चात् "कार्य" के स्थान पर "फार्म" कर दिया गया है।

धारा-90 की द्वितीय पंक्ति में "1961", के पश्चात् "(एक्ट संख्या-47, वर्ष, 1961)" जोड़ दिया गया है।

धारा-93 की पांचवी पंक्ति में "एक्ट संख्या 36," के बाद "वर्श" के स्थान पर "वर्ष" कर दिया गया है।

धारा-94 की प्रथम पंक्ति में "यदि निबन्धक" के बाद "या" के स्थान पर "को" कर दिया गया है।

धारा 95-क की उपधारा 2 की द्वितीय पंक्ति में "निश्चायक" के स्थान पर "निश्चयात्मक" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा (1) में निम्नलिखित के विरूद्ध कोई अपील को इन्वर्टेड काँमा में कर दिया गया है तथा "उस आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय के जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, संसूचित

....7/....

किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर, क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से की जा सकती है" को हटा दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया गया है :-

"(ख) निबन्धक का कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी संशोधन से धारा-12 की उपधारा (3) के अधीन निबद्ध करने से इनकार कर दिया गया हो अथवा धारा-14 की उपधारा (2) के अधीन निबद्ध किया गया हो।"

धारा 98 की उपधारा (1) के "खण्ड (ख)" के स्थान पर "खण्ड (ग)" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 1 के खण्ड "(ड)" की प्रथम पंक्ति में "125" के स्थान पर "16 (क)" तथा द्वितीय पंक्ति में "दिया गया हो" के पश्चात् ":" हटाकर "या 16 (ख) के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निर्देश दिया गया हो" जोड़ दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 1 के खण्ड "(ढ)" की प्रथम पंक्ति में "128" के स्थान पर "126" तथा द्वितीय पंक्ति में "आदेश" के पश्चात् "या धारा 126 के अधीन कोई आदेश जिसमें विभाजन का निदेश दिया गया हो" के स्थान पर "संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को नियत रीति से अपील की जा सकती है" कर दिया गया है।

धारा 98 की उपधारा 2 में खण्ड "(ख)" के पश्चात् खण्ड "(ग) यदि आदेश या अभिनिर्णय किसी निर्वाचन के संबंध में विवाद पर दिया गया हो तो न्यायिकरण को;" जोड़ दिया गया है।

धारा 99-क की द्वितीय पंक्ति में "और उसका परीक्षण" के पश्चात् "पारित" शब्द हटा दिया गया है।

धारा 99-ख के शीर्षक में "अपीलीय" के पश्चात् शब्द "अधिकारों" के स्थान पर "अधिकारी" कर दिया गया है।

धारा 99-ग की उपधारा 1 की द्वितीय पंक्ति में "अधिकारों का प्रयोग" के पश्चात् शब्द "नहीं" हटा दिया गया है।

धारा 103 की उपधारा 1 के खण्ड "(द)" की द्वितीय पंक्ति में "अधीन अपेक्षित" के पश्चात् शब्द "अंशदायी" हटा दिया गया है।

....8/....

धारा 103 की उपधारा 2 के खण्ड "(क)" की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (1) के खण्ड" के पश्चात् "1" के स्थान पर "अ", "4" के स्थान पर "द", "5" के स्थान पर "य", "7" के स्थान "ल" तथा "8" के स्थान पर "व" कर दिया गया है।

धारा 103 की उपधारा 2 के खण्ड ख की प्रथम पंक्ति में "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द "से" के स्थान पर "के" कर दिया गया है तथा "खण्ड (2)" के स्थान पर "खण्ड (ब)", "खण्ड (3) के स्थान पर "खण्ड (स)" तथा "खण्ड (6)" के स्थान पर "खण्ड (र)" कर दिया गया है।

धारा 107 की उपधारा 2 के खण्ड ख की द्वितीय पंक्ति में "प्राप्तियों और" के पश्चात् शब्द "साथ" के स्थान पर "साख पत्रों" कर दिया गया है।

धारा 113-क की चतुर्थ पंक्ति में "राज्य" के पश्चात् शब्द "सरकार" जोड़ दिया गया है।

धारा 114 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अधिकारों" के स्थान पर "अधिकारी" कर दिया गया है।

धारा 115 की तृतीय पंक्ति में "परिसमापक" के पश्चात् शब्द "मध्यस्थ," जोड़ दिया गया है।

धारा 117 के शीर्षक में शब्द "संगटनों" के स्थान पर "संगठनों" कर दिया गया है तथा प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(1)" व द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(2)" जोड़ दिया गया है तथा प्रथम पैरा की द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति में व द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "संगटन" के स्थान पर "संगठन" और प्रथम पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "संगटनों" के स्थान पर "संगठनों" कर दिया गया है।

धारा 122-क की उपधारा 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द "स्थायी" के स्थान पर "अस्थायी" कर दिया गया है।

धारा 123 की उपधारा 1 की चतुर्थ पंक्ति में शब्द "सहायता" के स्थान पर "अनुदान" कर दिया गया है।

धारा 128 की उपधारा 2 के खण्ड 1 की द्वितीय पंक्ति में "(1)" के स्थान पर "(2)" कर दिया गया है।

धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड-11 के पश्चात् खण्ड "11(अ) सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को नामित करना," जोड़ दिया गया है।

....9/....

धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड-19 की प्रथम पंक्ति में शब्द "अंशदायी" हटा दिया गया है।

धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड-39 में शब्द "बैंक" से पूर्व शब्द "केन्द्रीय" जोड़ दिया गया है।

धारा-131 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "राज्य" के पश्चात् शब्द "विधान" जोड़ दिया गया है।

धारा-132 की उपधारा-1 की प्रथम पंक्ति में उत्तर के पश्चात् शब्द "प्रदेश" को संशोधित कर दिया गया है तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "निश्प्रभावी" के स्थान पर "निष्प्रभावी" कर दिया गया है तथा "किया जाता है" के पश्चात् "पूर्ण विराम" को हटा दिया गया है। और "तथा उत्तर प्रदेश जनरल क्लोजेज एक्ट, 1904 (यू0पी0 एक्ट संख्या-1 वर्ष 1904) की धारा-6 तथा 24 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के निरसन पर प्रवृत्त होंगे।" जोड़ दिया गया है।

धारा-133 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति से शब्द "ग्राम्य विकास" को हटा दिया गया है।

धारा-138 की उपधारा-1 की पंचम पंक्ति में शब्द "प्रतिभूमि" के स्थान पर "प्रतिभूति" कर दिया गया है।

धारा-140 के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में "(1)" जोड़ दिया गया है तथा प्रथम पैरा के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया गया है :-

"(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जाए उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि बढ़ा सकती है।"

धारा-141 के प्रथम पैरा के प्रारम्भ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "इस अधिनियम में किसी बात" कर दिया गया है तथा शब्द "बैंक" के पश्चात् "काँमा (,)" जोड़ दिया गया है तथा शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "अथवा" जोड़ दिया गया है एवं शब्द "केन्द्रीय" के स्थान पर "केन्द्र" कर दिया गया है। द्वितीय पंक्ति में शब्द "या" के स्थान पर "तथा" कर दिया गया है।

....10/....

धारा-147 के शीर्षक में शब्द "आधार" के पश्चात् शब्द "पर" जोड़ दिया गया है।

धारा-148 की उपधारा (4) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "प्रापक" के पश्चात् शब्द "के" जोड़ दिया गया है।

धारा-151 की उपधारा (1) की ग्यारहवीं पंक्ति में शब्द "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" कर दिया गया है तथा शब्द "राजिस्ट्रार" के स्थान पर "रजिस्ट्रार" कर दिया गया है।

धारा-151 की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में तथा पंचम पंक्ति एवं षष्टम पंक्ति में शब्द "ऋुटि" के स्थान पर "त्रुटि" कर दिया गया है।

धारा-151 की उपधारा (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "ऋुटि" स्थान पर "त्रुटि" कर दिया गया है।

धारा-152 के प्रथम पैरा की तृतीय पंक्ति में शब्द "पदाधिकारी" के स्थान पर "पदधारी" तथा पंचम में शब्द "उसका प्रतयां" के स्थान पर "उसकी प्रतियाँ" कर दिया गया है तथा शब्द "जा" के स्थान पर "जो" कर दिया गया है।

धारा-154 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के प्रारम्भ में शब्द "कृषि" के स्थान पर "किसी" कर दिया गया है।

धारा-155 की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अधीन के" को हटा दिया गया है।

धारा-158 की उपधारा (1) की अंन्तिम पंक्ति में शब्द "को" के स्थान पर "का" कर दिया गया है।

धारा-159 के प्रथम पैरा के प्रारम्भ में शब्द-"न्यायधारी" के स्थान पर "न्यासधारी" कर दिया गया है तथा शब्द "अभिग्रहण" के पश्चात् शब्द "न" के स्थान पर शब्द "व" कर दिया गया है।

नत्थी "ङ"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 जून, 2003 की बैठक में दिनांक 12 जून, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जून, 2003

12 गुरूवार	(1) औपचारिक कार्य। (2) विगत सत्र के लम्बित नियम-103 के प्रस्ताव। सायं 4 : 00 बजे (3) वित्तीय वर्ष 2003-2004 का आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।